125

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/3879 विरूद्ध आदेश दिनांक 09-10-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ग्रामीण जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2016-17.

1- राजेश पुत्र स्व. मोतीराम
2- अरविंद पुत्र स्व. मोतीराम
3- बिट्टोली बेवा मोतीराम
निवासीगण हसनपुरा (रतवाई)
परगना व जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1- विपिन कुमार शर्मा पुत्र यशवंतसिंह शर्मा
सचिव, स्व. श्री भगवानसिंह शर्मा
शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर
निवासी- ए-18, द्वारिकापुरी, ग्वालियर .....अनावेदक
2- उर्मिला पुत्री स्व. मोतीराम
3- कृष्णा पुत्री स्व. मोतीराम
निवासीगण हसनपुरा (रतवाई)
परगना व जिला ग्वालियर

.....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर की नामांतरण पंजी क्रमांक 14/2-3-2017 आदेश दिनांक 03-04-2017 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर के समक्ष दिनांक 23-06-2017 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2016-17 दर्ज कर दिनांक 10-07-2017 को अंतरिम आदेश पारित कर विलंब क्षमा किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदकगण सहित अनावेदिका क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09-10-2017 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक 10-07-2017 को हो जाने के कारण उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 29-07-2017 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थितहुए तब उन्हें अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत करने की जानकारी होने पर उनके द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 5 में यह प्रावधान है कि जहां दूसरे पक्ष को सुने बिना एकपक्षीय रूप से विलंब क्षमा किया गया हो, वहां दूसरे पक्षकार द्वारा विलंब के संबंध में आपत्ति की जाती है तो दूसरे पक्षको सुनवाई कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की भूल की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रत्येक दिन के विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है एवं जानकारी का स्रोत एवं विलंब के संबंध में, जो कारण दर्शाया गया है, वह समाधानकारक नहीं है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में कोई असाधारण विलंब नहीं है, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का

निराकरण किया जाना है। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण-दोष किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने में कोई भूल नहीं की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध हो। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 415, 1996 आर.एन. 351 एवं 1995 आर.एन. 230 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अनावेदक का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पूर्व आदेश दिनांक 10-7-2017 से स्वीकार हो जाने के कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 5 व धारा 32 की आपत्ति पारित आदेश दिनांक 9-10-2017 से अस्वीकार की जाकर प्रकरण आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जो कि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अन्तर्गत कार्यवाही है, क्योंकि प्रकरण का समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर निराकरण नहीं कर गुणदोष पर अंतिम निराकरण करने हेतु प्रकरण नियत करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्यवाही की गई है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । इस संबंध में 2004 आरएन 289 नारायणी बाई तथा अन्य विरूद्ध नरेंद्र तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि -

> "धारा 44(1) - परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - समय के भीतर अपील फाइल न किये जाने का पर्याप्त कारण दर्शाया - माफी के लिये आवेदन ठीक ही मंजूर किया गया।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर